न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 157/2019 (436/2018)
GCMS NO. : 2018/00145

–:: प्रार्थी ::–

1. मुलतानराम पुत्र पुना
जाति–बावरी निवासी रामावास
खुर्द तहसील जैतारण
जिला–पाली।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. मदनलाल पुत्र पुना
2. रेवतराम पुत्र मदनलाल
3. डावरराम पुत्र मदनलाल
4. दिनेश पुत्र मदनलाल
5. बंजीराम पुत्र मदनलाल
जातियान बावरी निवासीगण
रामावांस खुर्द तहसील जैतारण
जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं काउन्टर प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 6 सी.पी.सी.

तारीख रजू: 25/09/2019

उपस्थित:. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः 27/01/2022

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायल एवं अन्य सह हिस्सेदारों की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि राजस्व मौजा खातिखेडा पटवार हल्का गरनिया तहसील जैतारण जिला पाली में स्थित है। जिसके खसरा नम्बर 7 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा, इसमें सायल का 1/2 वां हिस्सा, खसरा नम्बर 15 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा में 1/3 वां हिस्सा, खसरा नम्बर 4 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा व खसरा नम्बर 10 रकबा 22 बीघा 2 बिस्वा कुल खसरा नंबर 02 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा में सायल का 1/2 वां हिस्सा की भूमि आयी हुई है तथा शेष हिस्सा दिगर गैर सायलान का है जिसके बाबत् सायल व सह हिस्सेदारों के बीच कोई विवाद नहीं है। ऊपर वर्णित खसरा नंबरान की भूमि में सायल का हिस्सा मौके पर सहहिस्सेदारों की भूमि से अलग बंटा हुआ होकर माठे कायम की हुई है। उक्त भूमि की चालू जमाबंदी इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। विवादित भूमि में सायल काबिज होकर के काश्त करता आ रहा है उक्त भूमि के पूर्व में खातेदार भूराराम से खसरा नंबर 07 व 15 की भूमि में से मुततानराम ने जरिये बैचान विलेख के खरीद किया था। इसी प्रकार खसरा नंबर 04 व 10 के खातेदार मूगना से उसका हिस्सा सायल की पत्नी पारकी के नाम से खरीद किया था। पारकी की देहा[illegible] चुकी है। जिस पर उक्त खसरा नंबर 04 व 10 की भूमि जरिये [illegible] सायल के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जिससे सम्बन्धित [illegible] विलेख की प्रति [illegible] प्रार्थना पत्र के

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.02.17 16:00:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

साथ पेश है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 व 02 में वर्णित इस विवादित भूमि का काबिज खातेदार व काश्तकार सायल मूलतानराम है व गैर सायलान का इस भूमि का किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त व हक अधिकार कभी भी नहीं रहा है। गैर सायलान संख्या 01 सायल का सगा छोटा भाई है तथा दिगर गैरसायलान उसके पुत्र है। इस वर्ष उक्त गैरसायलान ने सायल को फसल की बुवाई करने के दौरान दिनांक 03/07/2018 को मौके पर लड़ाई–झगड़ा व विवाद किया तथा मौके पर जाने पर जानमाल से नुकसान पहुंचाने की धमकिया देते है। इस प्रकार यदि उक्त गैर सायलान लाठी लकड़ी के बल पर सायल की भूमि पर कब्जा कर लिया तो सायल अपनी इस जायदाद से हमेशा–हमेशा के लिए वंचित हो जायेगा। जिससे सायल को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं है। साथ ही सायल इस विवादित भूमि के सम्बन्ध में गैर सायलान के ऐसे अवैधानिक कृत्यों का विरोध करेंगे। जिससे विवाद बढेगा एवं मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग होगी तथा गैर सायलान ने दिनांक 01/08/2018 को भी मौके पर लड़ाई– झगड़ा व विवाद किया है। तब ऐसी विषम परिस्थितियों में सायल के पास अदालत श्रीमान के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से वाद बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैर सायलान के पेश है। समस्त तथ्यों व दस्तावेजात के आधार सायल का प्रथम दृष्टया बहुत ही मजबूत मामला है यदि इस प्रकरण में किसी प्रकार का स्थगन जारी नहीं किया जाता है। तो सायल को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र व दस्तावेजात के पेश कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश बहक सायल विरूद्ध गैर सायलान के इस आशय का जारी फरमावे की मौजा खातिखेड़ा पटवार हल्का– गरनिया तहसील– जैतारण खसरा नंबर 7 रकबा 5 बीघा 13 जिला–पाली में स्थित भूमि जिसके बिस्वा, इसमें सायल का 1/2 वां हिस्सा, खसरा नंबर 15 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा में 1/3 वां हिस्सा, खसरा नंबर 04 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा व खसरा नंबर 10 रकबा 22 बीघा 02 बिस्वा कुल खसरा नंबर 02 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा में सायल का 1/2 वां हिस्सा की भूमि पर सायल बतौर खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करे, काश्त के मुतालिक कार्य करवावे तो उसमें गैर सायलान स्वयं एवं उनके पारिवारिक सदस्य, हाली एजेन्ट, रिश्तेदार आदि किसी प्रकार का हस्तक्षेप व दखलअंदाजी नहीं करें, न ही कोई बाधा व अड़चन ही पैदा करें। ऐसा करने से गैरसायलान को वादपत्र के अंतिम निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावें।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है। गैरसायलान ने जवाब प्रार्थना प[illegible] किया, जो सा.मि. है। गैरसायलान ने अपने जवाब प्रा.पत्र में [illegible]जा खातीखेडा पटवार हल्का गरनिया तहसील जैतारण जि[illegible] नम्बर 7 रकबा 5 बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.02.17 16:00:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

13 बिस्वा खसरा नम्बर 15 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 4 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा खसरा नम्बर 10 रकबा 22.02 बिस्वा, खसरा नम्बर 2 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा जमीन स्थित होने की बात सत्य हैं। परन्तु खसरा नम्बर 7 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा कि जमीन में सायल का 1/2 का 1/3 हिस्सा यानि 1/6 हिस्सा व गैरसायल संख्या एक मदनलाल का 1/2 का 1/3 यानि 1/6 हिस्सा हैं। इसी हिस्से माफिक मौके पर गैरसायलान मौके पर पूर्वजों के समय से यानि खरीद से आज तक कब्जा काश्त हैं तथा मौके पर मना गना बंटवाडा किया हुआ हैं और बिना किसी रोक-टोक के शांतिपूर्वक उपयोग एवं उपभोग करता आ रहा हैं। खसरा नम्बर 15 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा की जमीन में गैरसायल संख्या एक मदनलाल खातेदार काश्तकार हैं जो हिस्से माफिक मौके पर कब्जा काश्त हैं। खसरा नम्बर 4 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 10 रकबा 22 बीघा 02 बिस्वा कुल खसरा नम्बर 2 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा में 1/2 वां हिस्से का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या एक मुल्तान का हैं इसी हिस्से माफिक मौके पर मना-गना बंटवाडा करके खरीद के समय से कब्जा सुपर्द कर दिया था जो आज दिन तक बतौर खातेदार काश्तकार के रूप में मौके पर काबिज हैं और शांतिपूर्वक बिना किसी रोक टोक ऐज ऑफ राईट के उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे हैं। प्रार्थनापत्र के पेरा संख्या दो का जवाब हैं कि खसरा नम्बर 7 व 15 की भूमि में से सायल मुल्तान के नाम एवं खसरा नम्बर 4 व 10 की कृषि भूमि में से सायल की पत्नी पारकी के नाम से खरीद की थी परन्तु सायल एवं गैरसायल दोनों अपने पिता के समय से जीवन काल में संयुक्त हिन्दू परिवार के रूप से सामुहिक रूप से निवास करते थे सायल मुल्तान ही संयुक्त परिवार में बड़ा था। संयुक्त परिवार के रहते एवं पूना की आय एवं सभी संयुक्त रूप से मजदूरी करते थे ओर संयुक्त आय से उक्त आराजी कि कृषि भूमि में से खसरा नम्बर 7 व 15 की कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा सायल के नाम से खरीदा एवं खसरा नम्बर 4 व 10 की भूमि में से 1/2 वां हिस्सा सायल ने अपनी पत्नी पारकी के नाम से बेचान रजिस्ट्री सायल मुल्तान व इसकी पत्नी पारकी के नाम से मदनलाल को मुगालते में रखते हुये रजिस्ट्री करवा दी जबकि उक्त कृषि भूमि खरीद में गैरसायल मदनलाल का 1/3 हिस्से की राशि संयुक्त रूप से दी हुई थी उक्त आराजी कि कृषि भूमि में स्वर्गीय पूना पुत्र खुमा का गैरसायल मदनलाल वारिश हैं उक्त आराजी कि कृषि भूमि में मालिकाना अधिकार के रूप में 1/2 का 1/3 हिस्सा हैं इसी हिस्से माफिक मौके पर कब्जा काश्त हैं। सायल एवं गैरसायलान की वंशावली प्रार्थना-पत्र में अंकित है। सायल मुल्तान एवं गैरसायल मदनलाल एवं कानाराम स्वर्गीय पूना के जायन्दा पुत्र हैं जो सभी संयुक्त हिन्दू परिवार के रूप में निवास करते थे और संयुक्त रूप से मजदूरी करने से आय होती थी उस आय से संयुक्त रूप से खसरा नम्बर 7 व 15 कि कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा सायल मुल्तान एवं खसरा न[illegible] व 10 की भूमि में से मुगना से मुल्तान की पत्नी पारकी के ना[illegible] के खरीद की थी गैरसायल मदनलाल व कानाराम सायल [illegible] इसलिये इनको मुगालते में रखते

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.02.17 16:00:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

हुये सायल ने अपने नाम से एवं अपनी पत्नी पारकी के नाम से बाले-बाले रजिस्ट्री करवा दी परन्तु स्वर्गीय पूना ने अपने जीवन काल में ही मुझ आराजी कि कृषि भूमि में से गैरसायल को उक्त आराजी कि कृषि भूमि में 1/2 का 1/3 हिस्सा अनुसार बंटवाडा करके मौके पर कब्जा सुपर्द कर दिया तब से आज तक उक्त आराजी कि कृषि भूमि में सायल मुल्तान का 1/2 का 1/3 हिस्सा गैरसायल मदनलाल का 1/2 का 1/3 हिस्सा एवं 1/2 का 1/3 हिस्सा कानाराम का हिस्सा हैं इसी हिस्से अनुसार अलग-अलग मौके पर काबिज होकर काश्त करते हैं एवं बिना किसी रोक टोक के उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे हैं। गैरसायलान का उक्त आराजी कि कृषि भूमि में 1/2 का 1/3 हिस्सा यानि 1/6 हिस्सा अनुसार मौके पर काबिज हैं शांतिपूर्वक ऐज ऑफ राईट के बिना किसी रोक टोक के उपयोग एवं उपभोग करता आ रहा हैं। जब मौके पर गैरसायलान का कब्जा काश्त हैं। तो जबरदस्ती कब्जा करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं गैरसायलान ने दिनांक 03.07.2018 को कभी भी मौके पर लडाई झगडा एवं विवाद नहीं किया तो जानमाल से नुकसान पहुँचाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं। प्रार्थनापत्र के पेरा संख्या चार का जबाब हैं कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों बिन्दू गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित हैं मौके पर अपने पारिवारिक बंटवाडा एवं हिस्से अनुसार कब्जा काश्त हैं एवं बिना किसी रोक टोक के शांतिपूर्वक उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे हैं। तीनों बिन्दू सायल के पक्ष में साबित नहीं हैं। इसलिये गैरसायलान के विरूद्ध किसी तरह का अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं इसलिये सायल का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से काबिल खारीज के हैं जो मय खर्चे खारीज फरमावें। प्रतिवादीगण ने विशेष विवरण में कथन किया कि सायल ने राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज सहखातेदारान के नाम वाले खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया हैं। इसके अभाव में सायल का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से काबिल खारीज के हैं जो मय खर्चे सायल का प्रार्थना पत्र खारीज फरमावें।

सायलान/अप्रार्थीगण द्वारा काउन्टर प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 6 सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया कि सायलान/अप्रार्थीगण एवं गैरसायल/प्रार्थी कि संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा खातीखेडा पटवार हल्का गरनिया तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) में स्थित हैं। जिसके खसरा नम्बर 07 रकबा 5 बीघा 13 बीस्वा स्थित हैं। इसमें सायलान का 1/2 वां हिस्सा का 1/3 वां हिस्सा सायलान का हैं। खसरा नम्बर 15 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा में 1/3 वां हिस्से का 1/3 वां हिस्सा यानि 1/9 वां हिस्सा का सायलान मदनलाल खातेदार काश्तकार हैं। खसरा नम्बर 4 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा खसरा नम्बर 10 रकबा 22 बीघा 02 बिस्वा 1/2 वां हिस्से का 1/3 वां हिस्सा यानि 1/6 वां हिस्सा सायलान का हैं। सायल [illegible] गैरसायल का संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभक्त कृषि भूमि पर [illegible] फिक मौके पर सायलान का खरीद के समय से आज तक [illegible] मौके पर मना-गना सायल

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.02.17 16:00:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

संख्या एक के पिता पूना के जीवन काल के समय से शांतिपूर्वक बिना किसी रोक टोक के मौके पर ऐज ऑफ राईट के उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे हैं। खसरा नम्बर 7 व खसरा नम्बर 15 की कृषि भूमि में पूर्व में सायल संख्या एक मदनलाल व गैरसायल मुल्तान के स्वर्गीय पिता पूनाराम ने संयुक्त रूप से खर्चा लगा कर गैरसायल मुल्तान के नाम से एवं खसरा नम्बर 4 व खसरा नम्बर 10 की कृषि भूमि में से गैरसायल मुल्तान की पत्नी पारकी के नाम से खरीद की थी परन्तु सायल संख्या एक मदनलाल एवं गैरसायल मुल्तान दोनों अपने पिता स्वर्गीय पूना जी के जीवन काल के समय में संयुक्त रूप से हिन्दू परिवार के रूप में सामुहिक रूप से निवास करते थे गैरसायल मुल्तान बड़ा था और होशियार था। सायल मदनलाल छोटा था जो मुगालते में रखते हुये संयुक्त आप की राशि से उक्त आराजी कि कृषि भूमि में से खसरा नम्बर 7 व 15 की कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा गैरसायल मुल्तान के नाम से खरीद कर बेचान रजिस्ट्री करवायी एवं खसरा नम्बर 4 व 10 कि कृषि भूमि में से 1/2 वां हिस्सा गैरसायल मुल्तान की पत्नी पारकी के नाम से रजिस्ट्री करवा दी जबकि उक्त आराजी कि कृषि भूमि में खरीद के समय हिस्से अनुसार राशि अदा की थी। यह हैं कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक में वर्णित खसरा नम्बर कि कृषि भूमि में सायल संख्या एक मदनलाल ने गैरसायल मुल्तान को इनके पिता पूनाजी का देहान्त होने के बाद लगातार कहता आ रहा हैं कि उक्त आराजी कि कृषि भूमि में खातेदारी में मेरा नाम दर्ज कराओ तो कहता रहा कि खातेदारी में नाम दर्ज करवा दूंगा परन्तु सायल संख्या एक मदनलाल द्वारा गैरसायल मुल्तान को बार-बार कहने पर भी नाम दर्ज नहीं करवाया ओर इसकी नियत में फर्क आ गया सायलान का हिस्सा हडपने कि नियत से एवं लाठी के बल पर बेदखल करने कि नियत से सायल मदनलाल का नाम दर्ज नहीं करवाया और गैरसायल मुल्तान की पत्नी पारकी का देहान्त हो जाने के बाद अपना अकेले का नाम जरिये फौतेदगी म्यूटेशन में नाम दर्ज करवाने हेतू एवं सायलान को बेदखल करने एवं इनके मालिकाना अधिकारों एवं हक हकूको से वचिंत करने के लिये स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र सायलान के विरुद्ध पेश कर दिया जो कतई चलने काबिल नहीं हैं। सायल संख्या एक मदनलाल उक्त आराजी कि कृषि भूमि में अपने हिस्से अनुसार खातेदारी में नाम दर्ज करवाने एवं खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी हैं जो खातेदार काश्तकार घोषित करवाने हेतू सायलान कि तरफ से गैरसायल के विरुद्ध यह काउन्टर प्रार्थनापत्र बंटवाडा अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश हैं। सायल मदनलाल के साथ गैरसायल मुल्तान इसका लड़का राजूराम, कानाराम पुत्र पूनाराम जीयाराम पुत्र कानाराम, महेन्द्र पुत्र कानाराम जातियान बावरी निवासीगण रामावास खुर्द ने मिलकर गाली ग्लोच की जान से मारने कि ऐलानिया धमकिया दी ओर धमकी दी कि लाठी के बल पर उक्त आराजी कि जमीन से बेदखल कर देगें। हिस्से अनुसार रजिस्ट्री नही करवाय[illegible] [illegible]ही खातेदारी में नाम दर्ज करायेगें जान से मारने पर उतारू हु[illegible] दिनांक 01.07.2019 को लिखित रिर्पोट पुलिस थाना [illegible]र थानाधिकारी जैतारण ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.02.17 16:00:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

कुछ भी कार्यवाही नहीं की और दिनांक 06.07.2019 को गैरसायल मुल्तान की तरफ से लिखित रिर्पोट मनोहरलाल हेड कांस्टेबल ने रिर्पोट लेकर गैरकानूनी रूप से कार्यवाही करके सायलान मदनलाल, डावरराम व दिनेश एवं गैरसायल मुल्तानराम व राजूराम के विरूद्ध धारा 107, 151 सी.आर.पी.सी. के तहत श्रीमान् उपखण्ड मजिस्ट्रेट जैतारण समक्ष पेश कर पाबन्द करवा दिया जिसकी प्रमाणित प्रति इस काउन्टर प्रार्थनापत्र के साथ पेश हैं, जो इसका एक भाग माना जावें। खसरा नम्बर 7 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा कि कृषि भूमि में गैरसायल मुल्तान का अकेले का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने एवं खसरा नम्बर 4 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा खसरा नम्बर 10 रकबा 22 बीघा 02 बिस्वा कि कृषि भूमि में गैरसायल मुल्तान का अकेले का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से एवं जमीन की किमते बढ़ने के कारण इसकी नियत में फर्क आ गया हैं। सायलान कि तरफ से गैरसायल के विरूद्ध काउन्टर प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् कि सेवा में पेश किया जा रहा हैं जो सायलान को उक्त आराजी कि कृषि भूमि में मालिकाना हक व अधिकार होने से सायल मदनलाल को खसरा नम्बर 7 कि कृषि भूमि में 1/2 का 1/3 यानि 1/6 हिस्सा की कृषि भूमि में एवं खसरा नम्बर 4 व 10 कि कृषि भूमि में 1/2 वां हिस्सा का 1/3 वां हिस्सा यानि 1/6 वां हिस्से अनुसार खातेदारी में जरिये घोषणा के अपना नाम अमल दरामद करवाने के अधिकारी हैं। गैरसायल मुल्तान का खातेदारी में नाम दर्ज होने से यदि किसी अजनबी क्रेता को प्रतिफल कि राशि लेकर बेचान रजिस्ट्री कराने में सफल हो जाता हैं तो सायलान अपने कानूनी जायज हक हकूको एवं मालिकाना अधिकार एवं साम्पेतिक अधिकारों से वंचित रह जायेगा। सायलान को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत में सम्भव नहीं होगी। इसलिये सायलान के पास न्यायालय की शरण लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं होने से उक्त आराजी कि कृषि भूमि में सायल अपने नाम से कानूनी रूप से खातेदार काश्तकार की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं ओर उक्त कृषि भूमि में हिस्से माफिक काश्त करने से दखलन्दाजी करने एवं लाठी के बल पर बेदखल करने एवं बेचान बख्शीश रहन हस्तान्तरण व वसीयत करने से गैरसायल को रुकवाने के अधिकारी हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर एवं दस्तावेजात के आधार पर सायलान का प्रथम दृष्टया मामला बखूबी साबित हैं एवं मौके पर उक्त आराजी कि कृषि भूमि पर हिस्से अनुसार कब्जा काश्त होने से सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में हैं। इसलिये तीनों बिन्दू सायलान के हक में साबित होने से सायलान के पक्ष में एवं गैरसायल के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें एवं गैरसायल को सायल के हिस्से कि जमीन में काश्त मुतालिक कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करे एवं लाठी के बल पर बेदखल नहीं करे वादपत्र के निर्णय तक हमेशा-हमेशा के लिये जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द करने का आदेश फरमावें।

गैरसायल मुलता[illegible] प्रस्तुत काउण्टर प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 6[illegible] प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.02.17 16:00:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

काउण्टर प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित खसरा नम्बर 07, खसरा नम्बर 04 व खसरा नम्बर 10 की भूमि में काउण्टर वादकर्ता मदनलाल एवं उसके पुत्र रेवतराम वगैराह का किसी भी प्रकार से कोई हक हिस्सा व कब्जा काश्त इत्यादि नही है। खसरा नम्बर 15 की भूमि में मदनलाल का केवल 1/3 में से 1/3 वां हिस्सा यानि कुल का 1/9 वा हिस्सा है तथा खसरा नम्बर 15 की भूमि जवाब देहन्दा मुलतानराम का 1/3 एवं 1/9 यानि कुल 4/9 वे हिस्से की भूमि है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में भी अंकन है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि जवाब देहन्दा ने 1/3 हिस्से की भूमि पूर्व खातेदार मंगाराम वगैराह से जरिये पंजीबद्ध बैचान विलेख के खरीद की है। नकल पंजीबद्ध बैचान विलेख की प्रति इस जवाब के साथ पेश है। इस प्रकार से इस पद में सायलान ने संयुक्त हिन्दू परिवार की सामलाती भूमि होना झूठा उल्लेखित किया है साथ ही मौके पर सायलान का खसरा नम्बर 07 खसरा नम्बर 04 व खसरा नम्बर 10 की भूमि के मौके पर कोई कब्जा काश्त व हक अधिकार न तो कभी रहा है न ही वर्तमान में है। उसके बावजूद भी सायलान ने खरीद के समय से अपना कब्जा होना इस पद में झूठा उल्लेखित किया है बल्कि खसरा नम्बर 04 व खसरा नम्बर 10 में से 1/2 वे हिस्से की भूमियाँ पारकी देवी बेवा मुलतान की खरीद सुदा व कब्जा सुदा भूमियाँ है। पारकी देवी का देहान्त हो जाने से जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 291 के उक्त भूमि जवाब देहन्दा के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 07 व खसरा नम्बर 15 में भूराराम वगैराह का हिस्सा जवाब देहन्दा स्वयं का खरीद सुदा है व इसी माफिक जवाब देहन्दा मौके पर काबिज खातेदार काश्तकार है। सायल मदनलाल एवं जवाब देहन्दा मुलतान जी अपने पिताजी पुनाराम जी से वर्ष 1970 में यानि लगभग 50 वर्ष पूर्व अलग हो गये थे तथा अलग-अलग ही जीवन यापन करते थे। इस प्रकार से मुलतान राम ने अपने पिताजी से 50 वर्ष पूर्व अलग होने के बाद से अपनी स्वयं की निजी कमाई से इस प्रकरण में वर्णित खसरा नम्बर 04, 10 एवं खसर नम्बर 07 व 15 की भूमियाँ जरिये पंजीबद्ध बैचान विलेख के अपने स्वयं के नाम से व पत्नि के नाम से खरीद की है। जिसमें मदनलाल या अन्य किसी भी व्यक्ति का हक हिस्सा व अधिकार नही रहा है। इन भूमियों के सम्बन्ध में मदनलाल व उसके पुत्र रेवतराम वगैराह निराधार विवाद कर रहे है जो कतई गलत है। इस प्रकार से मौके से सायल पूर्णतया आउट ऑफ पजेशन है। इस पद में सायलान ने अपना कब्जा होना एवं बंटवाड़ा किया हुआ होने से सम्बन्धित झूठे तथ्यों का समावेश किया है जो कतई गलत होने से अस्वीकार है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। काउण्टर प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित कथन व जवाब देहन्दा पर लगाये गये आरोप कतई असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। खसरा नम्बर 04, 10 एवं खसरा नम्बर 07, 15 की भूमियाँ जवा[illegible]दा के स्वयं की कमाई की खरीद सुदा व कब्जा सुदा होने से [illegible] कोई हक अधिकार नही होने से इन भूमियो के सम्बन्ध [illegible]र्ड में अपना नाम दर्ज करवाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.02.17 16:00:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

के कतई अधिकारी नही है न ही इस बाबत घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने के अधिकारी है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। काउण्टर प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 में वर्णित अनुसार सायल मदनलाल वगैराह के विरूद्ध सही कार्यवाही की गई है तथा मदनलाल व अन्य ने जवाब देहन्दा के विरूद्ध निराधार आरोप लगाये है जो कतई असत्य होने से अस्वीकार है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। काउण्टर प्रार्थना पत्र के पद संख्या 07 में वर्णित कथन कतई गलत होने से अस्वीकार है। जवाब देहन्दा इस कार्यवाही में वर्णित भूमि का रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। इसलिए समस्त तथ्यो व परिस्थितियो एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन काउण्टर वादकर्तागण की बजाय जवाब देहन्दा के पक्ष में है। यदि इस प्रकरण में मदनलाल के पक्ष में किसी भी प्रकार का स्थगन जारी किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति भी जवाब देहन्दा को होगी। गैरसायल ने अपने जवाब प्रा.पत्र में अतिरिक्त कथन किये जिसके अनुसार काउण्टर वादकर्ता मदनलाल ने पूर्व में अदालत श्रीमान् के समक्ष राजस्व वाद संख्या 38/2019 पेश किया हुआ है जो वर्तमान मे जैर विचाराण के है। आदेश 02 नियम 02 सीपीसी के प्रावधानो अनुसार उस समय काउण्टर वादकर्ता मदनलाल ने कोई उज्जर नही लिये थे। तो अब उसे ज्याद बढकर उज्जर व ऐतराज करने का काउण्टर वादकर्ता मदनलाल कतई अधिकारी नहीं होने से मदनलाल की ओर से प्रस्तुत काउण्टर प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावें। जवाब देहन्दा के पक्ष में खसरा नम्बर 07 व 15 के बाबत् लिखित बैचान दिनांक 24.11.1973 जिसका पंजीयन दिनांक 04.12.1973 उप पंजीयन अधिकारी जैतारण के कार्यालय में हो रखा होने से व इसी प्रकार खसरा नम्बर 04 व 10 का पंजीबद्ध बैचान दिनांक 25.07.1978 को जवाब देहन्दा की पत्नि पारकी पत्नि मुलतानराम के पक्ष हो रखा होने से एवं उक्त दोनो ही पंजीबद्ध बैचान विलेख विधिक रूप से अस्तित्व में होने से बैचान विलेख में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि जवाब देहान्दा की स्वअर्जित भूमि होने से इस भूमियों में काउण्टर वादकर्तागण को कोई हक व अधिकार नहीं है। अतः काउण्टर वादकर्तागण द्वारा प्रस्तुत काउण्टर प्रार्थना-पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावे।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं काउन्टर प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 6 सी.पी.सी. पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार है-

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः-** मूल वाद की पत्रावली मय वाद-पत्र एवं काउन्टर-वाद व दस्तावेजात तथा हस्तगत प्रा.पत्र व काउन्टर प्रार्थना-पत्र व दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर ... अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.02.17 16:00:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

की है। दूसरी ओर, प्रतिवादीगण ने मूल वाद में काउन्टर वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर हस्तगत प्रार्थना-पत्र में काउन्टर प्रार्थना-पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया है। जवाब प्रा.पत्र एवं जवाब काउन्टर प्रा. पत्र का अवलोकन किया गया।

वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत् 2074-2077 ग्राम खातीखेडा पटवार हल्का गरनीया के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी वादग्रस्त आराजी के भू-अभिलेख में अन्य सह-खातेदारों के साथ ही सह-खातेदार के रूप में दर्ज है। वादग्रस्त आराजी ग्राम खातिखेडा पटवार हल्का गरनिया तहसील जैतारण खसरा नम्बर 7 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 15 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 4 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा व खसरा नम्बर 10 रकबा 22 बीघा 2 बिस्वा का कानूनन विभाजन नहीं हुआ है। सह-खातेदारी शामलाती आराजी में प्रत्येक सह-खातेदार का भूमि के प्रत्येक इंच पर कब्जा व स्वामित्व माना जाता है। अतः कानूनन विभाजन से पूर्व प्रार्थी/वादी का हिस्सा भूमि के किस भू-भाग पर स्थित है यह सुनिश्चित किया जाना संभव नहीं है, जबकि प्रार्थी/वादी द्वारा केवल स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी/वादी के विरूद्ध स्थापित होता है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा पंजीकृत बेचाननामा की अप्रमाणित प्रतियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी/वादी व उसकी पत्नी पारकी की खरीदशुदा आराजी है जिसे प्रतिवादीगण ने अपने जवाब प्रा.पत्र में भी स्वीकार किया है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 खसरा संख्या 4 व 10 ग्राम खातीखेडा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पारकी पत्नी मुलतान के फौत होने पर मुलतान पुत्र पुनाराम का नाम जमाबंदी में दर्ज हुआ। प्रतिवादीगण द्वारा अपने काउन्टर प्रा.पत्र में वादग्रस्त आराजी में अपने कब्जा काश्त होने से संबंधी केवल कथन मात्र किये है परन्तु उक्त कथन को साबित करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रतिवादीगण/काउन्टर प्रा.पत्र प्रार्थीगण यह साबित करने में पूर्णतया विफल रहे है कि प्रथम दृष्टया मामला किस प्रकार उनके पक्ष में साबित होता है। जबकि वादग्रस्त आराजी वादीगण/काउन्टर प्रा.पत्र अप्रार्थी पैतृक पुश्तैनी भूमि न होकर खरीदशुदा भूमि है। इस प्रकार काउन्टर प्रार्थना-पत्र में प्रथम दृष्टया मामला प्रतिवादीगण के विरूद्ध साबित होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी/वादी एवं अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः-** पूर्व विवेचन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी शामलाती सह-खातेदारी की आराजी है जिसमें प्रत्येक सह-खातेदार का अपने हिस्से तक सुविधा का संतुलन निहित होता है। अतः अविभाजित आराजी में किसी विशिष्ट भू-भाग पर किसी भी एक सह-खातेदार के पक्ष में सुविधा का संतुलन निहित होना नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर, प्रतिवादीगण/काउन्टर प्रा.पत्र के प्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी में अपने कब्जा काश्त होने से संबंधित केवल कथन मात्र किये है परन्तु उक्त कथन को साबित करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। जबकि वादग्रस्त आराजी वादी/काउन्टर प्रा.पत्र के अप्रार्थी की पैतृक पुश्तैनी भूमि न होकर खरीदशुदा आराजी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.02.17 16:00:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

अतः यह बिंदू भी वादी/प्रार्थी एवं प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः–** चुंकि वादग्रस्त आराजी संयुक्त शामलाती सह–खातेदारी आराजी है जिसमें भू–अभिलेख में वादी/प्रार्थी के अलावा अन्य सह–खातेदारान भी दर्ज है। अतः अविभाजित शामलाती आराजी में प्रार्थी/वादी का भूमि के किस विशिष्ट भू–भाग पर उसका हिस्सा आता है यह विभाजन से पूर्व सुनिश्चित किया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी/प्रार्थी के पक्ष में यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो उसे किस प्रकार अपूरणीय क्षति कारित होगी, यह साबित नहीं होता है। दूसरी ओर, प्रतिवादीगण/काउन्टर प्रा.पत्र प्रार्थीगण द्वारा केवल कथन मात्र किये है, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि अपूरणीय क्षति का बिंदू उनके पक्ष में साबित होता हो।

अतः यह बिंदू भी वादी/प्रार्थी एवं प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विन्रम अभिमत है कि प्रार्थी/वादी का प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का काउन्टर प्रार्थना–पत्र बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाना विधि संगत एवं उचित रहेगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का काउन्टर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 6 सी.पी.सी. वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 27/01/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.02.17 16:00:54 IST
Reason: SelfAttested